

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-13/14 127

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

बी.के. त्रिपाठी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची ;

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची।

राँची, दिनांक : 21-10-14

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोग, उप शीर्ष-69-प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, 21 प्रचार/ प्रसार/ सेमिनार, विपत्र कोड 49P470180796690321 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्न वर्णित लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन निम्नांकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	मुख्य अभियंता	कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोग/ 69-प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार	03-प्रशासनिक व्यय, 21 प्रचार/ प्रसार/ सेमिनार, विपत्र कोड- 49P470180796690321	रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र० सं०-2, राँची (DRNMAJ090)
Access no	योजना का नाम	पूर्व का आवंटन (लाख ₹ में)	वर्तमान आवंटन (लाख ₹ में)	कुल आवंटित राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12
67025	विभागीय राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2014-15 में समय-समय पर आयोजित बैठक सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशाप एवं प्रशिक्षण	2.00	1.50	3.50	अभियंताओं के लिए अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षाओं का आयोजन
	योग	2.00	1.50	3.50	

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक लाख पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2014-2015 के बजट उपबंध रु. 50.00 लाख (पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 2/पी. एम. सी./आवंटन-45/08-पार्ट-1-06/14-15 प्र. स्वी.; राँची, दिनांक: 03.06.14 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

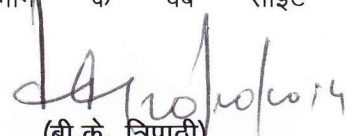
(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

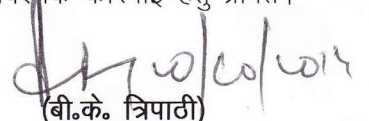
नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** कंडिका-01 के स्तंभ-07 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


(बी.के. त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 127

राँची, दिनांक :- 21-10-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बी.के. त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

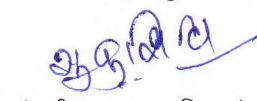
ज्ञापांक :- 127

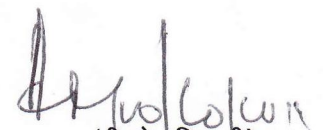
राँची, दिनांक :- 21-10-14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी.के. त्रिपाठी)
प्रधान सचिव